रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपारेशन लिमिटेड
RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED
(भारत सरका का उद्यम) (**A Government of India Enterprise**)
Regd Office: Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodi Road New Delhi 110003
Tele. 24365161 Fax 24360644 Email reccorp@recl.nic.in Gram RECTRIC
Website www.recindia.com & www.recindia.nic.in

संदर्भ सं. आरईसी/वित्त/बांड/2010-11 दिनांक: 02.06.2010

सेवा में,

विषयः- आरईसी द्वारा बांड/लाभांश भुगतान हेतु आदाता बैंकर की नियुक्ति

प्रिय महोदय/महोदया,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक नवरत्न उपक्रम है। आरईसी विद्युत क्षेत्र हेतु एक समर्पित वित्तीय संस्थान है जो देश में विद्युत क्षेत्र की सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने में गतिशील भूमिका निभाने के अतिरिक्त, राज्य विद्युत यूटिलिटियों, केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों , अन्य सरकारी एवं संयुक्त क्षेत्र की यूटिलिटियों, और निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों को भी सहायता मुहैया करवाने में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आरईसी को क्राइसिल, केयर, फिच तथा आईसीआरए से ' एएए ' रेटिंग मिली हुई है।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड नियमित रूप से बाजार से निधियां जुटा रहा है और इसने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान प्रतिभूत/अप्रतिभूत/विमोच्य और विभिन्न श्रृंखलाओं में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले गैर-परिवर्तनीय बांड के द्वारा एक बड़ी राशि जुटाई है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, (1) 54 ईसी बांडों (2) संस्थागत बांडों तथा (3) वर्ष 2010-11 के दौरान लाभांश भुगतान हेतु आदाता बैंकर नियुक्त करना चाहता है।

आदाता बैंको हेतु मुख्य निबंधन एवं शर्ते निम्नानुसार हैं -

<u>मुख्य शर्त</u>

1. लाभांश तथा **54** ईसी बांडों हेतु आदाता बैकर्स, बैक की संपूर्ण भारत में न्यूनतम **200** स्थानों पर शाखाएं होनी चाहिए । बैंक इस आशय के संबंध में एक प्रमाण-पत्र एक पृथक लिफाफे में संलग्न करें। उक्त प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने वाले बैंको की दर-सूची पर, लाभांश तथा **54**ईसी बांडों के लिए आदाता बैंकर हेतु विचार नहीं किया जाएगा। <u>लिफाफे पर लाभांश तथा 54ईसी बांडों हेतु आदाता बैंकर्स के लिए मुख्य शर्त मोटे अक्षरों</u> में लिखा जाए।
2. संस्थागत बांडों हेतु आदाता बैंकर्स बैंक की संपूर्ण भारत में न्यूनतम **100** स्थानों पर शाखाएं होनी चाहिए । बैंक इस आशय के संबंध में प्रमाण-पत्र एक पृथक लिफाफे में संलग्न करें। उक्त प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने वाले बैंकों की दर-सूची पर संस्थागत बांडों के लिए आदाता बैंकर हेतु विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे पर <u>संस्थागत बांडों हेतु आदाता बैंकर के लिए मुख्य शर्त</u> लिखा जाए।

आदाता बैंक हेतु अन्य निबंधन एवं शर्ते :-

i) बैंक, ब्याज के भुगतान और बांडों के विमोचन हेतु आदाता बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सेबी द्वारा अनुमोदित/प्राधिकृत होना चाहिए।

ii) निगम, इस प्रयोजन हेतु खोले गए ब्याज/विमोच्य वारंट खाते में क्रेडिट किए जाने के लिए बैंक द्वारा वांछित आरटीजीएस/निधि अंतरण के माध्यम से ब्याज/विमोच्य की देय तिथि को ब्याज/विमोच्य राशि को जमा कर देगा।

iii) ब्याज/विमोच्य/लाभांश की राशि निवेशक को एनईसीएस/आरटीजीएस तथा वारंटों के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। एनईसीएस/आरटीजीएस के अस्वीकरण के मामले में, बैंक द्वारा अगले दिन आरईसी को सूचित करना अपेक्षित होगा।

iv) बैंक द्वारा आरटीजीएस/एनईसीएस/वारंटों के भुगतान हेतु इंट्राडे सुविधा मुहैया करवाना अपेक्षित होगा।

v) आरईसी बैंक को, निवेशकों के ब्यौरे अर्थात निवेशक का नाम, निवेशक का बैंक तथा पता, खाता संख्या एमआईसीआर संख्या अथवा आईएफसीएस कोड, जैसा भी मामला हो, कम से कम एक कार्य दिवस पहले मुहैया करवाएगा।

vi) बैंक धारकों को बैंक द्वारा जारी किए जाने हेतु अपेक्षित ब्याज/विमोच्य/ लाभांश वारंट सभी स्थानों पर सममूल्य पर देय होंगे।

vii) आरईसी, निगम द्वारा जारी ब्याज/विमोच्य/लाभांश वारंट के ब्यौरे बैंक को ब्याज/विमोच्य/लाभांश भुगतान की तिथि से पहले मुहैया करवाएगा।

viii) बांड धारकों को, बैंक द्वारा अपनी लागत पर लीफ फार्म में (सतत स्टेशनरी) चेक (ब्याज/विमोच्य/लाभांश वारंट) मुहैया करवाना अपेक्षित होगा। बांड धारकों को केवल 'एकाउंट पेई ' और 'अहस्तांतरणीय ' वारंट ही जारी किए जाएंगे।

ix) बैंक निगम को एक बैंक विवरण देगा जिसमें पाक्षिक आधार पर भुगतान हेतु दिए गए वारंटों के ब्यौरे दर्शाए गए होंगे।

x) बैंक निगम को मासिक आधार पर भी एक मिलान विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगाः-

(1) प्रत्येक वारंट की राशि के साथ प्रदत्त वारंटों के नंबर की तिथि-वार सूची।
(2) प्रत्येक माह में अप्रदत्त प्रत्येक वारंट की राशि सहित वारंट नंबर की अप्रदत्त सूची।

xi) आरईसी द्वारा जमा की गई राशि और बैंक द्वारा अदा की गई राशि के मिलान को दर्शाने वाला एक विवरण और इस प्रकार निकाली गई संख्या अप्रदत्त सूची के साथ मेल खाती हो।

xii) आरईसी के पास समय-सीमा समाप्त हो चुके वारंटों को पुनः वैध करने का अधिकार होगा।

xiii) आरईसी वारंट की समाप्ति के पश्चात संबंधित बैंक खाते में पड़ी हुई अप्रयुव्त निधियें को निकाल लेगा। उसके पश्चात पुनः वैध अथवा डेबिट किए गए वारंटों हेतु जरूरी राशि को आरईसी द्वारा तत्काल जमा करवाया जाएगा।

अनुरोध है कि आप अपने प्रतिष्ठित संगठन से उपर्युव्त निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप आदाता बैंकर के रूप में कार्य करने हेतु, अपने विस्तृत निबंधन एवं शर्तें/शुल्कों/सुविधाएं इत्यादि को प्रेषित करें।

प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित का भी उल्लेख किया जाना चाहिए:-

1. प्रस्ताव की वैधता अवधि अंतिम तिथि से 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए।
2. नियंत्रक/अथवा नामित शाखा नाम
3. ब्याज/विमोच्य वारंट के न मिलने/गुम होने/क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने के मामले में, उनके भुगतान को रोके जाने हेतु बैंक को अनुदेश दिए जाने के लिए अपनाई जाने वाली अपेक्षित प्रक्रिया।

यदि आपका बैंक, उपर्युव्त निबंधन एवं शर्तों अथवा बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी निबंधन एवं शर्तों पर, आदाता बैंकर्स के रूप में कार्य करने का इच्छुक है, तो अनुरोध है कि अपनी दर-सूची को एक बंद लिफाफे में भेजें, जिस पर ' आदाता बैंक हेतु दर-सूची ' लिखा गया हो जो कि 'मुख्य शर्त ' के अंतर्गत उल्लिखित लिफाफे के

अतिरिक्त होगा, और इसे निम्नलिखित पते पर 17 जून, 2010 (अपराह्न 3.00 बजे) तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दें। बोली प्रस्तावों को खोले जाने के समय अर्थात 17.6.2010 को अपराह्न 3.30 बजे बैंकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि वहां मौजूद रह सकते हैं ।

आरईसी के पास किसी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

मुख्य प्रबंधक (वित्त)
बांड अनुभाग
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष- 011-43091676

अनुबंध-'क'

सुविधा/शुल्क

क्रम सं.	विवरण	बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना ओ
1.	खाते को खोलने हेतु न्यूनतम शेष	
2.	आरईसी कार्यालय की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर आदाता बैंक खाते के नियंत्रण हेतु संपर्क के लिए नामित शाखा	
3.	निगम द्वारा खाते का वित्तपोषण, उसी दिन अथवा एक दिन पहले	
4.	संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति के ब्यौरे	
5.	एमआईसीआर स्टेशनरी के मुद्रण शुल्क यदि कोई हो तो	
6.	भुगतान रूकवाने हेतु शुल्क यदि कोई हो तो	
7.	आरसीए/एमसीए/संव्यवहार शुल्क अथवा अन्य शुल्क जैसे कि सेवा शुल्क आदि	
8.	असाधारण परिस्थितियों हेतु ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसे कि अवकाश बेमेलता/आरबीआई प्रणाली की विफलता आदि, परिसीमा तथा शुल्क यदि कोई हो तो	
9.	इंट्राडे सुविधा/परिसीमा और शुल्क, यदि कोई हो तो	
10. (क)	शाखा की अनुपलब्धता के मामले में डिमांड ड्राफ्ट और शुल्क , यदि कोई हों तो	
(ख)	डिमांड ड्राफ्ट हेतु निधि अंतरण (देय तिथि से कितने दिन पूर्व)	
(ग)	निवेशक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट को देय तिथि से न्यूनतम 7 दिन पहले निगम को वितरित किया जाए। स्वीकार्य है अथवा नहीं।	
(घ)	डिमांड ड्राफ्ट शुल्क /कमीशन	
11.	एनईसीएस/आरटीजीएस सुविधाएं तथा शुल्क, यदि कोई हों तो।	
12.	निगम को, प्रदत्त और अप्रदत्त डेटा की सूची के साथ आवश्यकता के अनुसार तथा मासिक समाधान - विवरण, उपलब्ध कराना तथा उसके शुल्क, यदि कोई हों तो	
13.	बैंक खाते को खोलने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	
14.	आदाता बैंकर के रूप में कार्य करने हेतु सेबी का प्राधिकार	
15.	वैधता समाप्त होने के पश्चात भुगतान वारंटों का पुनः वैधीकरण, स्वीकार्य है अथवा नहीं	
16.	अन्य (अन्य कोई सुविधा/लाभ जिसकी बैंक पेशकश करना चाहता हो)	

ओनोट - बैंकों से अनुरोध है कि वे सूचना कॉलम में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें (अपेक्षित होने पर कृपया अतिरिक्त शीटों का उपयोग करें)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

बैंक की मुहर

संदर्भ सं. आरईसी/वित्त/बांड/2010-11 दिनांकः 9.6.2010

सेवा में,

विषयः- आरईसी द्वारा बांड/लाभांश भुगतान हेतु आदाता बैंकर की नियुक्ति- शुद्धि पत्र

प्रिय महोदय/महोदया,

यह आदाता बैंकरों की नियुक्ति के संबंध में हमारे दिनांक 2.6.2010 के पत्र से संबंधित है। मुख्य शर्त में संशोधन किया गया है और नई शर्त निम्नानुंसार है-

<u>मुख्य शर्त</u>

1. **54**ईसी बांड हेतु आदाता बैंकर **:** बैंक की संपूर्ण भारत में न्यूनतम **200** स्थानों पर शाखा होनी चाहिए। इस आशय के प्रमाण-पत्र को बैंक द्वारा एक पृथक लिफाफे में संलग्न किया जाए । उक्त प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने वाले बैंको की दर-सूची पर **54**ईसी बांड के लिए आदाता बैंकर हेतु विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे पर ' **54**ईसी बांड हेतु आदाता बैंकर के लिए मुख्य शर्त ' लिखा जाए।
2. लाभांश तथा संस्थागत बांड हेतु आदाता बैंकर **:** बैंक की संपूर्ण भारत में **100** स्थानों पर शाखाएं होनी चाहिए। इस आशय के प्रमाण-पत्र को बैंक द्वारा एक पृथक लिफाफे में संलग्न किया जाए। उक्त प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने वाले बैंको की दर -सूची पर लाभांश तथा संस्थागत बांड के लिए आदाता बैंकर हेतु विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे पर ' लाभांश तथा संस्थागत बांड हेतु आदाता बैंकर के लिए मुख्य शर्त ' लिखा जाए।

दर सूची प्रस्तुत करने की तिथि को भी **17** जून, **2010** से बढ़ाकर **23** जून, **2010** (अपराह्न **3.00** बजे तक) कर दिया गया है और उन्हें उसी दिन अपराह्न **3.30** बजे खोला जाएगा।

अन्य निबंधन एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सधन्यवाद,
भवदीय,

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

मुख्य प्रबंधक (वित्त)
बांड अनुभाग
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष - 011 . 43091676